

डिक्री

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) भादरा, जिला हनुमानगढ़
पीठारीन अधिकारी :- श्री कल्पित शिवरान आर.ए.एस

गि०न० - 122/2017

अनवान :-

1. हनुमान पुत्र धन्नाशम जाति खाती निवारी सरदारपुरावारा भादरा त० भादरा।

वादी

बनाम

1. राजकुमार पुत्र रामजीलाल जाति जाट निवारी सरदारपुरावारा त० भादरा।
2. शिवकुमार पुत्र रामजीलाल जाति जाट निवारी सरदारपुरावारा भादरा।
3. नत्थूराम पुत्र तिलोकाशम जाति जाट निवारी सरदारपुरावारा भादरा।
4. लादुराम पुत्र तिलोकाशम जाति जाट निवारी सरदारपुरावारा भादरा।
5. लक्ष्मीदेवी बेवा बुधराम जाति खाती निवारी वार्ड न० 7 भादरा।
6. सुन्दरलाल पुत्र बुधराम जाति खाती निवारी वार्ड न० 7 भादरा।
7. सत्यवान पुत्र बुधराम जाति खाती निवारी वार्ड न० 7 भादरा।
8. अजयकुमार पुत्र बुधराम जाति खाती निवारी वार्ड न० 7 भादरा।
9. चन्दो बेवा शंकरलाल जाति खाती निवारी वार्ड न० 7 भादरा।
10. मनीराम पुत्र शंकरलाल जाति खाती निवारी वार्ड न० 7 भादरा त० भादरा।
11. सांवरमल पुत्र शंकरलाल जाति खाती निवारी वार्ड न० 7 भादरा त० भादरा।
12. छोदूराम पुत्र शंकरलाल जाति खाती निवारी वार्ड न० 7 भादरा त० भादरा।
13. दलीपकुमार पुत्र शंकरलाल जाति खाती निवारी वार्ड न० 7 भादरा त० भादरा।
14. सुरेन्द्र पुत्र स्व० आईदान पुत्र श्योराम जाति खाती निवारी भादरा।
15. स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर शाखा भादरा जरिये प्रबंधक।
16. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार भादरा।

प्रतिवादीगण

आज यह वाद गुडा कल्पित शिवरान उपखण्ड अधिकारी भादरा के समक्ष वकील वादी श्री मुंशीराम गोस्वामी व वकील प्रतिवादीगण श्री दीवान सिंह की उपस्थिति में निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी मुताबिक विभाजन डिक्री किया जाता है तथा रोही मौजा चक 10 बीएचडी के खाता सं० 119/81 के मु०न० 19 के किला न० 11 ता 13, 18 ता 23 प्रत्येक किला की 0.253है० नहरी, मु०न० 30 के किला न० 1/1 की 0.228है० नहरी, किला न० 1/2 की 0.025है० गै० मु० खाला, किला न० 2/1 की 0.228है० नहरी, किला न० 2/2 की 0.025है० गै० मु० खाला, किला न० 3/1 की 0.228है० नहरी, किला न० 3/2 की 0.025है० गै० मु० खाला, किला न० 8 ता 13, 18 ता 23 प्रत्येक किला की 0.253है० नहरी, मु०न० 40 के किला न० 1 ता 3, 8 ता 10, 12, 13 प्रत्येक किला की 0.253है० नहरी, कुल 8.096है०, जिसमें नहरी 8.0210है०, गै० मु० खाला 0.075है० खातेदारी कृषि भूमि में अजय कुमार के नाम 85/4048 हिस्सा, आईदान के नाम 335/2024 हिस्सा, चन्दो के नाम 17/1012 हिस्सा, छोदूलाल के नाम 17/1012 हिस्सा, दलीप कुमार के नाम 17/1012 हिस्सा, नत्थू के नाम 379/4048 हिस्सा, मनीराम के नाम 137/8096 हिस्सा, राजकुमार के नाम 27/368 हिस्सा, लक्ष्मीदेवी के नाम 171/8096 हिस्सा, लादू के नाम 379/4048 हिस्सा, शिव कुमार के नाम 595/8096 हिस्सा, सत्यवान के नाम 85/4048 हिस्सा, सुन्दरलाल के नाम 85/4048 हिस्सा, सांवरमल के नाम 17/1012 हिस्सा, हनुमान के नाम 2689/8096 हिस्सा खातेदारी राजस्व रिकार्ड में दर्ज है में खाता विभाजन अलग-अलग करवाने हेतु निवेदन किया है। अतः वाद वादीगण मुताबिक विभाजन प्रस्ताव डिक्री किया जाकर पक्षकारान के हिस्सा अनुसार निम्नानुसार खाता व लगान अलग से कायम किया जाता है-

गादी हनुमान पुत्र घन्नाराम जाति खाती साकिन भादरा:- रोही मौजा चक 10 बीएचडी के मु०न० 30 के किला न० 1/2 की 0.109है० किला न० 2/2 की 0.109है० किला न० 3/2 की 0.104है० किला न० 3/3 की 0.006है० गै०मु० रास्ता किला न० 8/1 की 0.240है० किला न० 8/2 की 0.013है० गै०मु० रास्ता किला न० 9 ता 12 प्रत्येक की 0.253है०, किला न० 13/1 की 0.240है० किला न० 13/2 की 0.013है० गै०मु० रास्ता, किला न० 18/1 की 0.240है०, किला न० 18/2 की 0.013है० गै०मु० रास्ता, किला न० 19-20 प्रत्येक की 0.253है०, किला न० 21/1 की 0.028है० किला न० 22/1 की 0.028है०, किला न० 23/1 की 0.027है०, कुल 2.688है० जिसमें 2.643है० नहरी एवं 0.045है० गै०मु० रास्ता।

प्रतिवादी सं० 1 राजकुमार प्रतिवादी सं० 2 शिवकुमार पि० रामजीलाल बहिस्सा बराबर जाति जाट साकिन सरदारपुराबास :- रोही मौजा चक 10 बीएचडी के मु०न० 19 के किला न० 21 ता 23 प्रत्येक 0.253है०, मु०न० 30 के किला न० 1/1 की 0.119है०, किला न० 2/1 की 0.119है०, किला न० 3/1 की 0.118है०, किला न० 1/3 की 0.025है० गै० मु० खाला, किला न० 2/3 की 0.025है० गै० मु० खाला, किला न० 3/4 की 0.025है० गै० मु० खाला कुल 1.190है० जिसमें नहरी 1.115है०, गै० मु० रास्ता 0.075है०।

प्रतिवादी सं० 3 नत्थूराम प्रतिवादी सं० 4 लादूराम पि० तिलोकाराम बहिस्सा बराबर जाति खाती साकिन भादरा:- रोही मौजा चक 10 बीएचडी के मु०न० 19 के किला न० 11 ता 13 प्रत्येक की 0.253है०, किला न० 18 ता 20 प्रत्येक की 0.253है० कुल 1.518है० नहरी।

प्रतिवादी सं० 5 लक्ष्मीदेवी पत्नी बुधराम 171/2700 हि० प्रतिवादी सं० 6 सुन्दरलाल 170/2700 हि० प्रतिवादी सं० 7 सत्यवान 171/2700 हि० प्रतिवादी सं० 8 अजयकुमार 170/2700 हि० प्रतिवादी सं० 9 चन्दो पत्नी शंकरलाल 135/2700 हि० प्रतिवादी सं० 10 मनीराम 137/2700 हि० प्रतिवादी सं० 11 सावंरमल 136/2700 हि० प्रतिवादी सं० 12 छोदूलाल 135/2700 हि० प्रतिवादी सं० 13 दलीपकुमार 135/2700 हि० प्रतिवादी सं० 14 आईदान पुत्र श्योराम 1340/2700 हि० :- रोही मौजा चक 10 बीएचडी के मु०न० 30 के किला न० 21/2 की 0.225है०, किला न० 22/2 की 0.225है०, किला न० 23/2 की 0.213है०, किला न० 23/3 की 0.013है० गै० मु० रास्ता, मु०न० 40 के किला न० 1-2 प्रत्येक की 0.253है०, किला न० 3/1 की 0.2524है०, किला न० 3/2 की 0.0006है० गै० मु० रास्ता, किला न० 8 ता 10 प्रत्येक की 0.253है०, किला न० 12-13 प्रत्येक की 0.253है०, कुल 2.700है० जिसमें नहरी 2.6864है० एवं गै०मु० रास्ता 0.0136है०।

उपरोक्तानुसार पक्षकारान का खाता व लगान अलग से कायम करते हुए राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जाकर राजस्व रिकार्ड दुरुस्त किया जावें। पूर्व में दर्ज गै०मु० खाला रास्ता एवं भूमि की किस्म को यथावत् रखा जावें। यदि पक्षकारान का हिस्सा किसी बैंक के रहन है तो रहन मुक्त होने के उपरांत ही राजस्व रिकार्ड में उपरोक्तानुसार अमल दरामद किया जावे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना-अपना वहन करे। यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 18.12.25 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।



(कलियुक्त शिवराम)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व), R.A.S
भादरा जिला हनुमानगढ़

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्थ) भादरा, जिला हनुमानगढ़
पीठारीन अधिकारी :- श्री कल्पित शिवरान आर.ए.एस

नि० न० - 122/2017

अनवान :-

1. हनुमान पुत्र धन्नाराम जाति खारी निवासी सरदारपुरावास भादरा त० भादरा।

वादी

बनाम

1. राजकुमार पुत्र रामजीलाल जाति जाट निवासी सरदारपुरावास त० भादरा।
2. शिवकुमार पुत्र रामजीलाल जाति जाट निवासी सरदारपुरावास भादरा।
3. नत्थूराम पुत्र तिलोकाराम जाति जाट निवासी सरदारपुरावास भादरा।
4. लादुराम पुत्र तिलोकाराम जाति जाट निवासी सरदारपुरावास भादरा।
5. लक्ष्मीदेवी बेवा बुधराम जाति खारी निवासी वार्ड न० 7 भादरा।
6. सुन्दरलाल पुत्र बुधराम जाति खारी निवासी वार्ड न० 7 भादरा।
7. सत्यवान पुत्र बुधराम जाति खारी निवासी वार्ड न० 7 भादरा।
8. अजयकुमार पुत्र बुधराम जाति खारी निवासी वार्ड न० 7 भादरा।
9. चन्दो बेवा शंकरलाल जाति खारी निवासी वार्ड न० 7 भादरा।
10. मनीराम पुत्र शंकरलाल जाति खारी निवासी वार्ड न० 7 भादरा त० भादरा।
11. सांवरमल पुत्र शंकरलाल जाति खारी निवासी वार्ड न० 7 भादरा त० भादरा।
12. छोदूराम पुत्र शंकरलाल जाति खारी निवासी वार्ड न० 7 भादरा त० भादरा।
13. दलीपकुमार पुत्र शंकरलाल जाति खारी निवासी वार्ड न० 7 भादरा त० भादरा।
14. सुरेन्द्र पुत्र स्व० आईदान पुत्र श्योराम जाति खारी निवासी भादरा।
15. स्टेट बैंक ऑफ़ बीकानेर एंड जयपुर शाखा भादरा जरिये प्रबंधक।
16. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार भादरा।

प्रतिवादीगण

दावा बाबत खाता विभाजन अन्तर्गत

धारा 53 राजस्थान कास्तकारी अधिनियम

उपस्थिति :- श्री मंशीराम गोस्वामी वादी
श्री दीवानसिंह प्रतिवादी

निर्णय

दिनांक: 18/3/15

संक्षेप में वाद के तथ्य इस प्रकार है कि रोही मौजा चक 10 बीएचडी के खाता सं० 119/81 के मु० न० 19 के किला न० 11 ता 13, 18 ता 23 प्रत्येक किला की 0.253 है० नहरी, मु० न० 30 के किला न० 1/1 की 0.228 है० नहरी, किला न० 1/2 की 0.025 है० गै० मु० खाला, किला न० 2/1 की 0.228 है० नहरी, किला न० 2/2 की 0.025 है० गै० मु० खाला, किला न० 3/1 की 0.228 है० नहरी, किला न० 3/2 की 0.025 है० गै० मु० खाला, किला न० 8 ता 13, 18 ता 23 प्रत्येक किला की 0.253 है० नहरी, मु० न० 40 के किला न० 1 ता 3, 8 ता 10, 12, 13 प्रत्येक किला की 0.253 है० नहरी, कुल 8.096 है०, जिसमें नहरी 8.0210 है०, गै० मु० खाला 0.075 है० खातेदारी कृषि भूमि में अजय कुमार के नाम 85/4048 हिस्सा, आईदान के नाम 335/2024 हिस्सा, चन्दो के नाम 17/1012 हिस्सा, छोदूलाल के नाम 17/1012 हिस्सा, दलीप

कुमार के नाम 17/1012 हिस्सा, नत्थू के नाम 379/4048 हिस्सा, मनीराम के नाम 137/8096 हिस्सा, राजकुमार के नाम 27/368 हिस्सा, लक्ष्मीदेवी के नाम 171/8096 हिस्सा, लादू के नाम 379/4048 हिस्सा, शिव कुमार के नाम 595/8096 हिस्सा, सत्यवान के नाम 85/4048 हिस्सा, सुन्दरलाल के नाम 85/4048 हिस्सा, सांवरमल के नाम 17/1012 हिस्सा, हनुमान के नाम 2689/8096 हिस्सा खातेदारी राजस्व रिकार्ड में दर्ज है।

वाद भूमि का काफी अर्सा पहले वाहमी बंटवारा हो गया था, जिसमें पक्षकारान के द्वारा अपने-अपने हिस्सा में आई भूमि को अलग-अलग काश्त करना शुरू कर दिया तथा उनका अलग से खेत व सींव डोल बने हुये है। राजस्व रिकॉर्ड में कुल भूमि मुश्तर्का खातेदारी दर्ज होने से माल, लगान आदि को लेकर विवाद बना रहता है। इसलिये वादी भूमि का खाता तकसीम अलग करवाना चाहता है, यह ही विनाय मुखास्मत है।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामिल होने के उपरान्त प्रतिवादी सं० 5, 7, 8 का जवाब पेश किया एवं प्रतिवादी सं० 1 ता 4 एवं 9 ता 14 के विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की गई। प्रतिवादी सं० 6 ने उपस्थिति दर्ज करवाई। वाद प्राथमिक डीकी की जाकर तहसीलदार भादरा से विवादित भूमि का विभाजन प्रस्ताव प्राप्त किया गया।

बहस वकील उभयपक्षकारान सुनी गई। दौराने बहस वकील वादी ने निवेदन किया कि पक्षकारान के हिस्सा अनुसार मुताबिक विभाजन प्रस्ताव के विवादित भूमि का खाता व लगान अलग से कायम किया जावे जिस पर वकील प्रतिवादीगण ने सहमती प्रकट की।

हमारे द्वारा अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया गया। प्रस्तुत प्रकरण में वादी ने रोही मौजा चक 10 बीएचडी के खाता सं० 119/81 के मु० न० 19 के किला न० 11 ता 13, 18 ता 23 प्रत्येक किला की 0.253 है० नहरी, मु० न० 30 के किला न० 1/1 की 0.228 है० नहरी, किला न० 1/2 की 0.025 है० गै० मु० खाला, किला न० 2/1 की 0.228 है० नहरी, किला न० 2/2 की 0.025 है० गै० मु० खाला, किला न० 3/1 की 0.228 है० नहरी, किला न० 3/2 की 0.025 है० गै० मु० खाला, किला न० 8 ता 13, 18 ता 23 प्रत्येक किला की 0.253 है० नहरी, मु० न० 40 के किला न० 1 ता 3, 8 ता 10, 12, 13 प्रत्येक किला की 0.253 है० नहरी, कुल 8.096 है०, जिसमें नहरी 8.0210 है०, गै० मु० खाला 0.075 है० खातेदारी कृषि भूमि में अजय कुमार के नाम 85/4048 हिस्सा, आईदान के नाम 335/2024 हिस्सा, चन्दो के नाम 17/1012 हिस्सा, छोटूलाल के नाम 17/1012 हिस्सा, दलीप कुमार के नाम 17/1012 हिस्सा, नत्थू के नाम 379/4048 हिस्सा, मनीराम के नाम 137/8096 हिस्सा, राजकुमार के नाम 27/368 हिस्सा, लक्ष्मीदेवी के नाम 171/8096 हिस्सा, लादू के नाम 379/4048 हिस्सा, शिव कुमार के नाम 595/8096 हिस्सा, सत्यवान के नाम 85/4048 हिस्सा, सुन्दरलाल के नाम 85/4048 हिस्सा, सांवरमल के नाम 17/1012 हिस्सा, हनुमान के नाम 2689/8096 हिस्सा खातेदारी राजस्व रिकार्ड में दर्ज है उक्त वाद भूमि में खाता विभाजन अलग-अलग करवाने हेतु निवेदन किया है। अतः वाद वादी मुताबिक विभाजन प्रस्ताव डीकी किया जाकर पक्षकारान के हिस्सा अनुसार निम्नानुसार खाता व लगान अलग से कायम किया जाता है—

वादी हनुमान पुंन धन्नाराम जाति खाती साकिन भादरा:— रोही मौजा चक 10 बीएचडी के मु० न० 30 के किला न० 1/2 की 0.109 है० किला न० 2/2 की 0.109 है० किला न० 3/2 की 0.104 है०

Kalpit
न्याय (अजय)
मुख्य न्यायाधीश

किला न० 3/3 की 0.006 है 0 गै०मु० रास्ता किला न० 8/1 की 0.240 है 0 किला न० 8/2 की 0.013 है 0 गै०मु० रास्ता किला न० 9 ता 12 प्रत्येक की 0.253 है 0, किला न० 13/1 की 0.240 है 0 की 0.013 है 0 गै०मु० रास्ता, किला न० 18/1 की 0.240 है 0, किला न० 18/2 0.28 है 0 किला न० 22/1 की 0.028 है, किला न० 19-20 प्रत्येक की 0.253 है 0, किला न० 21/1 की 0.643 है 0 नहरी एवं 0.045 है 0 गै०मु० रास्ता।

प्रतिवादी सं० 1 राजकुमार प्रतिवादी सं० 2 शिवकुमार पि० रामजीलाल बहिस्सा बराबर जाति जाट साकिन सरदारपुरावास :- रोही मौजा चक 10 बीएचडी के मु०न० 19 के किला न० 21 ता 23 प्रत्येक 0.253 है 0, मु०न० 30 के किला न० 1/1 की 0.119 है 0, किला न० 2/1 की 0.119 है 0, किला न० 3/1 की 0.118 है 0, किला न० 1/3 की 0.025 है 0 गै० मु० खाला, किला न० 2/3 की 0.025 है 0 गै० मु० खाला, किला न० 3/4 की 0.025 है 0 गै० मु० खाला कुल 1.190 है 0 जिसमें नहरी 1.115 है 0, गै० मु० रास्ता 0.075 है 0।

प्रतिवादी सं० 3 नत्थूराम प्रतिवादी सं० 4 लादूराम पि० तिलोकाराम बहिस्सा बराबर जाति खाती साकिन भादरा:- रोही मौजा चक 10 बीएचडी के मु०न० 19 के किला न० 11 ता 13 प्रत्येक की 0.253 है 0, किला न० 18 ता 20 प्रत्येक की 0.253 है 0 कुल 1.518 है 0 नहरी।

प्रतिवादी सं० 5 लक्ष्मीदेवी पत्नी बुधराम 171/2700 हि० प्रतिवादी सं० 6 सुन्दरलाल 170/2700 हि० प्रतिवादी सं० 7 सत्यवान 171/2700 हि० प्रतिवादी सं० 8 अजयकुमार 170/2700 हि० प्रतिवादी सं० 9 चन्दो पत्नी शंकरलाल 135/2700 हि० प्रतिवादी सं० 10 मनीराम 137/2700 हि० प्रतिवादी सं० 11 सावंरमल 136/2700 हि० प्रतिवादी सं० 12 छोटूलाल 135/2700 हि० प्रतिवादी सं० 13 दलीपकुमार 135/2700 हि० प्रतिवादी सं० 14 आईदान पुत्र श्योराम 1340/2700 हि० :- रोही मौजा चक 10 बीएचडी के मु०न० 30 के किला न० 21/2 की 0.225 है 0, किला न० 22/2 की 0.225 है 0, किला न० 23/2 की 0.213 है 0, किला न० 23/3 की 0.013 है 0 गै० मु० रास्ता, मु०न० 40 के किला न० 1-2 प्रत्येक की 0.253 है 0, किला न० 3/1 की 0.2524 है 0, किला न० 3/2 की 0.0006 है 0 गै० मु० रास्ता, किला न० 8 ता 10 प्रत्येक की 0.253 है 0, किला न० 12-13 प्रत्येक की 0.253 है 0, कुल 2.700 है 0 जिसमें नहरी 2.6864 है 0 एवं गै०मु० रास्ता 0.0136 है 0।

उपरोक्तानुसार पक्षकारान का खाता व लगान अलग से कायम करते हुए राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जाकर राजस्व रिकार्ड दुरुस्त किया जावें। पूर्व में दर्ज गै०मु० खाला रास्ता एवं भूमि की किस्म को यथावत् रखा जावें। यदि पक्षकारान का हिस्सा किसी बैंक के रहन है तो रहन मुक्त होने के उपरांत ही राजस्व रिकार्ड में उपरोक्तानुसार अमल दरामद किया जावे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना-अपना वहन करे। पर्चा डीकी जारी हो।

निर्णय आज दिनांक18.12.18 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।



(कल्पित सिंघान)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
R.A.S
भादम (निम्न अमानत)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
भादरा जिला हनुमानगढ़